

446/I/99


1000Rs.




लीज - पट्टानामा

C 6444

रहाम्य शुल्क - 1630/- रुपये ।



मैं कि डाइक सिंह जीना उम्र बालिग पुत्र स्व० श्री बहादुर सिंह जीना निवासी ग्राम दोगाँव पट्टी चोपड़ा तहसील व जिला नैनीताल का हूँ । आगे यह लीज-पट्टा लेखापत्र बहक सिद्धार्थ रेज्युकेशनल सोसाईटी - दो गाँव पट्टी चोपड़ा तहसील व जिला नैनीताल को इस प्रकार लिखा देता हूँ कि मैं मुक़िर वाके ग्राम दो गाँव पट्टी चोपड़ा तहसील व जिला नैनीताल के छातोनी छाता सख्या- 1 व 3 में रकबा 40 नाली अर्थात दो एकड़ यानि 8080 वर्ग मीटर भूमि जिसमें निर्मित मकान / विधालय है जिसमें 6 कमरे बने है मैं उक्त सम्पत्ति का मालिक व भूमिधार दर्ज माल कागजात हूँ । मेरी यह जमीन हर प्रकार के ऋण भार रहन बैय आदि से मुक्त चली आ रही है मुझे उपरोक्त सम्पत्ति को बैय, रहन, बन्धान, लीज पट्टा करने के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त है । लिहाजा आज मैं मुक़िर अपनी वाके ग्राम दोगाँव पट्टी चोपड़ा तहसील व जिला नैनीताल के छातोनी छाता सख्या- 1 व 3 । एक व तीन । में रकबई 40 नाली अर्थात दो एकड़ यानि 8080 वर्ग मीटर जिसमें निर्मित मकान/विधालय को निम्न लिखित शर्तों के अन्तर्गत सिद्धार्थ रेज्युकेशनल सोसाईटी रजि० नम्बर- 21, 1860 के अधीन सख्या 754 के अन्तर्गत पंजीकृत है जो ग्राम दो गाँव पट्टी चोपड़ा तहसील व जिला नैनीताल में स्थित है,

रसमिष्ट  ----- 2 -----



मंगल दिवस एपुकराण्य सौदास
अपनी दो पाँच पक्ष चौक गरीब

क्रम सं०... 1377

स्टाम्प विक्रेता: कमल सुयाल

दिनांक 26/7/99

लाइसेंस नं० 33/99

स्टाम्प का मूल्य... 1000/-

नीज 3000/-
कामा 500/वापिस
मजिद 10,000/-

राजस्वी मुद्रा 260/-
प्रतिशोध मुद्रा 10/- 10/- 290/- 900
एक सैरद पत्र आज दिनांक 27-7-99 को समय मध्य

... 3 व 4 बजे दिन के आधुनिक सब रजिस्ट्रार
बेबीताल में श्री रवडक सिंह जी पुत्र श्री बंदा (बिंदु जी) का
पेशा... निवासी...
के प्रस्तुत किया

कामासिद जोर


27-7-99

इस लेखपत्र के मगपादन को भली भांति
सुन व समझकर उक्त श्री... रवडक सिंह जी का
ने... का किना

जिसकी पहचान श्री... का पुत्र श्री... का
पेशा... निवासी...
एवं श्री... पुत्र श्री... का
पेशा... निवासी...

27-7-99

कामासिद जोर



साक्षिणी का... का
मुक्त किया गया
27-7-99



: 2 :

को 30 वर्षों के लिए 500/- पाँच सौ स्वयं वाषिर्क किरायेपर लीज बट्टे में देना चाहता हूँ :-

1- कि मुझे इस भूमि उसमें निर्मित मकान/विद्यालय के बदले उक्त समिति से 500/- स्वयं वाषिर्क किराया देगी ।

2- कि विद्यालय समिति 40x80 मीटर अर्थात् 3200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को क़िड़ा स्थल के स्व में तथा शेष क्षेत्रफल 4880 वर्ग मीटर में तोसाईटी के नियमों के अनुसार और अपने स्वयं के खर्च पर भवन निर्माण आदि करेगी ।

राममणि श्री

----- 3 -----




: 3 :

- 3- कि समिति द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय का नाम
 'सिद्धार्थ पबलिक स्कूल' रहेगा ।
- 4- कि विद्यालय में छात्रों का प्रवेश मैरेड के आधार पर
 ही किया जायेगा तथा कुमाऊँ - गढ़वाल के गरीब बच्चों को ट्यूशन
 तथा बोर्डिंग फीस में रियायत दी जायेगी ।

(समिति) की ओर

----- 4 -----





: 4 :

5- कि समिति धिरे-धिरे हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम का स्कूल कक्षा एल.के.जी. से कक्षा-12 तक चलायेगी, जो सी.बी.एस. एच.ई. से सम्बद्ध ~~लेखन~~ करायेगी ।

6- कि यह लीज-पट्टा आज दिम से 30 वर्षों हेतु तथा भाविष्य में यह समिति के हक में मेरी सहमति से लीज -पट्टा बढ़ाया जा सकता है ।

----- 5 -----

(समिति के अध्यक्ष)



: 5 :

- 7- कि समिति को विद्यालय के लिए कर्मचारी लेने तथा उनको पुरुष्कृत करने हेतु पूरी शैक्षणिक तथा पूरी प्रवन्धाकीय स्वतंत्रता सी. बी. एस. ई. के नियमों के अनुसार होगी ।
- 8- यह कि मैंने उपरोक्त सम्पत्ति के किराये मध्ये 10,000/- दस हजार रुपये अग्रिम प्राप्त कर लिए है ।
- 9- कि उक्त विद्यालय/सोसाइटी को अन्य किसी को बट्टे व लीज पर पर देने का अधिकार नहीं होगा ।

इसलिए यह लीज-बट्टा लेखापत्र अपनी पूर्ण होश हवास बिना किसी के सिखालाये बहकाये रूबरू गवाहान के तहरीर कर रजिस्ट्री करा देता हूँ ताकि सनद रहे और वक़्त जरूरत पर काम आवे फक्त दिनांक- 27-7-99 । नोट - पेज नम्बर-4 के पैरा - 5 के लाईन तीन में कटा है ।

रामजी सिंह

गवाहान -

1- मनोज कुमार लोहनी अ. न. नैनीताल ।

2- राजेन्द्र सिंह चिलवाल नैनीताल ।

राजेन्द्र सिंह चिलवाल

दस्तावेज नयोज

सहजीव धारी (नैनीताल)

ला० न० 35..... वैधता 2002

नो नं० 165